

12.03.25 पत्रावली पेश। उग्रम पशुकाराम उप०।

प्रति. 1, 4, 5, 6 की मूल वाड में तलनी

ड्रेड रिपोर्ट सलगनी प्रति सं. 1, 2

जवाब लंबे समय से प्राप्त नहीं

होने पर जवाब बंद किया जा रहा है।

प्र. सं. 1, 4, 5, 6 के विरुद्ध एकपक्षीय

कार्रवाई अमल में लाई गई।

प्राथमिक अथिक्ता द्वारा प्राथमिक पत्र

में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निवेदन

किया कि भोजा लाठीवाड के क्षेत्र खसरा

नं. 244 रकबा 4.73 हेक्टेयर में

मूल वाड के  द्वारा तक अंतिम

आस्था निषेधाज्ञा की यथावत रखने का निवेदन

किया / (प्रति) सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर) P.P.O.

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।</p>
-------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

हमने प्रार्थिया अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गूली गान्ति अवलोकन व अध्ययन किया। प्रथम दृष्ट्य प्रकार, सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में होने से प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना है।

— आदेश: —

अतः अप्रार्थिगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आश्म की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा लाठीवाड़ के खेत खसरा नम्बर 244 रकबा 4.73 हेक्टेयर में मौके व राजस्व रिकॉर्ड की सपा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर से कम, दायित्व दफ्तर हो। (गुनी)

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)